

(वाद संख्या 300/2019 अन्तर्गत मनजीत कौर अर्द्ध अग्रिम हस्तागत सिंह अर्द्ध)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अवि गर्ग, ^{अवर}राजस्व
राजस्व वाद संख्या :- 300/2019

1. मनजीत कौर पत्नि हरमन्दरसिंह
 2. हरजीत सिंह पुत्र हरमन्दरसिंह
 3. हरवीर सिंह पुत्र हरमन्दरसिंह
 4. हरबंशसिंह पुत्र हरचन्दरसिंह
- जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला
तहसील पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़
राजस्थान।

—वादीगण

—बनाम—

1. हरपालसिंह पुत्र हरचन्दरसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं विभाजन

—: उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता
2. श्री मदनगोपाल मेहरड़ा अधिवक्ता

—वादी

— प्रतिवादीगण

—: निर्णय :-

दिनांक :- 21.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का रथाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है।

वादीगण व प्रतिवादी न. 1 एक ही हिन्दू (सिख) खान दान के सदस्य हैं जो कि आपस में सयुक्त खातेदारान हैं, जिन पर हिन्दू विधि लागू होती है।

तहसील पीलीबंगा के चक 37 एल.एल.डब्ल्यू बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 60/51 का प.न. 5/232 मु.न. 4 कि.न. 20, 21 की 0.506 है. नहरी व प.न. 3/23 कि.न. 14, 15/228(.025 खाला), 16/.228(.025खाला), 17 ता 24/2.024 है. 25/.228(.025 खाला) की 3.036 है. नहरी मय गै.मु. खाला, प.न. 3/288 मु.न. 34 कि.न. 3/.215 (.038 रास्ता), 4/.215(.038 रास्ता), 5/.190(.038 रास्ता,.025खाला), 6/.228(.025रास्ता), 7, 8, 14/2/.063, 15/.228(.025खाला) की 1.834 है नहरी मय गै. मु. खाला रास्ता कुल 5.376 है. मय गै. मु. खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि वादी न. 4 व प्रतिवादी न. 1 के नाम ब.हि. बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है।

तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 61/52 का प.न. 3/232 मु.न. 2 कि.न. 16/.240 17/.202. 18/.114, 19/.063, 20/.051. 21 ता 25/1.265 है. की 1.935 है. नहरी व प.न. 4/232 मु.न. 3 कि.न. 21/2/.202, 22/2/.202, 24/2/.202, 25/2/.177(.025 रास्ता) की 1.010 है. मय रास्ता व प.न. 5/232 मु.न. 4 कि.न. 16, 17, 18/.139, 22 ता 25 का 1.657 है. नहरी कुल 4.602 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला कृषि भूमि प्रतिवादी न. 1 हरपालसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 63/54 प.न. 5/234 मु.न. 14 कि.न. 1 ता 5, 7 ता 14, 17 ता 23 की कुल 5.060 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि में से वादी न. 4 हरबंशसिंह के नाम 134 हि. व वादी न. 1 ता 3 के नाम 133 हिस्सा ब.हि. बराबर बराबर व प्रतिवादी न. 1 हरपालसिंह के नाम 133 हि. दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 64/53 प.न. 5/234 मु.न. 14 कि.न. 6, 15, 16, 24, 25 की दाल 1.265 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि में से वादी न. 4 के नाम 30 हिस्सा व प्रतिवादी न. 1 के नाम 40 हि. व वादी न. 1 ता 3 के नाम 30 हिस्सा ब.हि. बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू वी की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 65/55 प.न. 3/235 मु.न. 22 कि.न. 1/228(025खाला), 2/228(025खाला), 3/228(025खाला), 4/228(025खाला), 5/202(051खाला), 6/228(025खाला), 7 ता 13 की कुल 3.289 है. नहरी मय गै.मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि वादी न. 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू वी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 43/35 का प.न. 5/232 मु.न. 4 कि.न. 6/.101, 7/.051, 11/202, 12/.190, 13 ता 15, 18/2/.114, 19, की 1.670 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादी न. 1 ता 3 के नाम व. हि. बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू वी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 38/31 प.न. 3/234 मु.न. 12 कि.न. 5, 6 की कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि वादी न. 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू वी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 39/32 प.न. 3/234 मु.न. 12 कि.न. 1 ता 4, 7 ता 13 की 2.783 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादी न. 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 39 एल.एल.डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू का खाता सं. 62/47 प.न. 2/237 मु.न. 24 कि.न. 8, 13, 17, 18, 23, 24 की कुल 1.518 है. नहरी कृषि भूमि खातेदारी वादी न. 1 ता 3 के नाम व.हि. बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 39 एल.एल.डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू खाता सं. 92/66 का प.न. 2/237 मु.न. 24 कि.न. 1 ता 4, 5/228(025रास्ता), 6/228 (025 रास्ता), 7, 9, 10, 14, 15/228 (025 रास्ता), 16/228(025रास्ता), 25/228(025रास्ता) कि कुल 3.289 है नहरी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी न. 1 के नाम 2.277 है व वादी न. 4 के नाम 0.506 है. व वादी न. 1 ता 3 के नाम 0.506 है व.हि. बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 39 एल.एल.डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू खाता सं. 93/67 का प.न. 2/237 मु.न. 24 कि.न. 11, 12, 19 ता 22 कि कुल 1.518 है नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादी न. 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू खाता सं. 110/101 प.न. 10/236 मु.न. 48 कि.न. 9 ता 17 कि 2.277 है नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी न. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू खाता सं. 111 प.न. 10/236 मु.न. 48 कि.न. 18 ता 20, 21/215(038 रास्ता), 22/215 (038 रास्ता), 23/215 (038 रास्ता), 24/215(038 रास्ता), 25/215(038 रास्ता) कि कुल 2.024 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता कृषि भूमि वादी न. 1 ता 3 के नाम व.हि. बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 112/103 प.न. 10/236 मु.न. 48 कि.न. 1 ता 8 की 2.024 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादी न. 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू वी की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 64/53 में प्रतिवादी न. 1 हरपालसिंह का नाम सहबन हरदयालसिंह अंकित हुआ है जिसे प्रतिवादी न. 1 हरपालसिंह पढ़ा जाने की घोषणा की जावे।

वादीगण व प्रतिवादी न. 1 उक्त अनुसार दावा की दफा 3 ता 16 में वर्णित कृषि भूमि के सांयुक्त खातेदारान है। वादीगण व प्रतिवादी न. 1 ने अपनी उक्त सांयुक्त खाता की कृषि भूमि का परु बंटवारा कृषि भूमि अचठी-मन्दी व रास्ता खाला की सुविधा के साथ काफी लम्बे समय से

कोरी एवं
के कोरी एवं
पीलीबंगा

निम्न प्रकार से किया हुआ है जिसके अनुसार निम्न प्रकार से कृषि भू वादीगण व प्रतिवादी न. 1 को खाता विभाजन में दिये जाने व मालिक व खातेदार होने की घोषणा कर कृषि भूमि अलग-अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग अलग कायम की जाने की घोषणा की जावे।

(क). तहसील पीलीबंगा का चक 39 एल.एल.डब्ल्यू, की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू का प.न. 2/237 मु.न. 24 कि.न. 1 ता 4, 5/228(025रास्ता), 6/228(025रास्ता), 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15/228(025रास्ता), 16/228(025रास्ता), 19 ता 22, 25/228(025रास्ता) कि कुल 4.807 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि व चक 37 एल.एल.डब्ल्यू, बी का प.न. 5/232 मु.न. 4 कि.न. 18/2/.032, 20 की कुल 0.285 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादी न. 1 ता 3 यानि मनजीतकौर पत्नि हरमन्दरसिंह, हरजीतसिंह, हरवीरसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को व. हिस्सा बराबर बराबर के मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जावे।

(ख). तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू, बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू प.न. 3/235 मु.न. 22 कि.न. 14, 15/228(025खाला), 16/.009 नहरी, 17 ता 24, 25/.009 नहरी की 2.548 है. नहरी मय गै. मु. खाला व चक 37 एल.एल.डब्ल्यू, ए का प.न. 10/236 मु.न. 48 कि.न. 9 ता 25 की कुल 4.301 है नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि वादी न. 4 यानि हरबंशसिंह पुत्र हरचन्दसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जावे।

(ग). तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू, बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का प.न. 3/238 मु.न. 34 कि.न. 3/.215(038 रास्ता); 4/.215(038 रास्ता), 5/.190(038 रास्ता, .025खाला), 6/228(025रास्ता), 7, 8, 14/2/.063, 15/228(025खाला) की 1.834 है. नहरी मय गै. मु. खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि व प.न. 3/235 मु.न. 22 कि.न. 16/.219(025खाला), 25/.219(025खाला), व प.न. 5/234 मु.न. 14 कि.न. 1 ता 25 कि कुल 6.325 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि व चक 37 एल.एल.डब्ल्यू, बी का प.न. 5/232 मु.न. 4 कि.न. 18/2/.082, 21 की कुल 0.335 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी न. 1 यानि हरपालसिंह पुत्र हरचन्दसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जावे।

(घ). तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू, बी की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 64/53 में प्रतिवादी न. 1 हरपालसिंह का नाम सहबन हरदयालसिंह अंकित हुआ है जिसे प्रतिवादी न. 1 हरपालसिंह पढ़ा जाने की घोषणा की जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 को भू- धारक होने से दावा में पक्षकार बनाया है ताकि दावा में नुकस ना रहे।

वादीगण ने पहले भी प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि दावा की दफा 2 ता 18 क ता घ में वर्णित अनुसार कृषि भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा देवें तो प्रतिवादीगण वादीगण की बात मानने से कई दिनों तक टाल मटोल करते रहे आखिरकार प्रतिवादीगण आज से 7 रोज पूर्व वादीगण की बात मानने से इन्कार हो गये यही वाद कारण है।

वादीगण का दावा श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर दो प्रतियों में पेश है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर दावा बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण के निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।:

- वादीगण का दावा स्वीकार कर वादीगण का दावा की दफा 18 क ता घ में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादी न. 1 को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी न. 1 के नाम अलग खाता में दर्ज कर राज अलग कायम की जावे।
- वादीगण को प्रतिवादीगण से खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।
- अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के पक्ष में हो जारी फरमाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 22.07.2019 को उपरिथत होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़ने समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री मदनगोपाल मेहरड़ा अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है दोनो पक्षों द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रस्ताहन से परस्पर मुकदमेबाजी नहीं होने देने के लिये स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है, जो निम्न प्रकार से है :-

(क). तहसील पीलीबंगा का चक 39 एल.एल.डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू का प.न. 2/237 मु.न. 24 कि.न. 1 ता 4, 5/.228(.025रास्ता), 6/.228(.025रास्ता), 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15/.228(.025रास्ता), 16/.228(.025रास्ता), 19 ता 22, 25/.228(.025रास्ता) कि कुल 4.807 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि व चक 37 एल.एल.डब्ल्यू बी का प.न. 5/232 मु.न. 4 कि.न. 18/2/.028, 20 की कुल 0.281 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादी न. 1 ता 3 यानि मनजीतकौर पत्नि हरमन्दरसिंह, हरजीतसिंह, हरवीरसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को ब. हिस्सा बराबर बराबर के मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जावे।

(ख). तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू प.न. 3/235 मु.न. 22 कि.न. 14, 15/.228(.025खाला), 16/.009 नहरी, 17 ता 24, 25/.009 नहरी की 2.548 है. नहरी मय गै. मु. खाला व चक 37 एल.एल.डब्ल्यू ए का प.न. 10/236 मु.न. 48 कि.न. 9 ता 25 की कुल 4.301 है नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि का वादी न. 4 यानि हरबंशसिंह पुत्र हरचन्दसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जावे।

(ग). तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का प.न. 3/238 मु.न. 34 कि.न. 3/.215(.038 रास्ता), 4/.215(.038 रास्ता), 5/.190(.038 रास्ता, .025खाला), 6/.228(.025रास्ता), 7, 8, 14/2/.063, 15/.228(.025खाला) की 1.834 है. नहरी मय गै. मु. खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि व प.न. 3/235 मु.न. 22 कि.न. 16/.219(.025खाला), 25/.219(.025खाला), व प.न. 5/234 मु.न. 14 कि.न. 1 ता 25 कि कुल 6.325 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि व चक 37 एल.एल.डब्ल्यू बी का प.न. 5/232 मु.न. 4 कि.न. 18/2/.086, 21 की कुल 0.339 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी न. 1 यानि हरपालसिंह पुत्र हरचन्दसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जावे।

(घ). तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू बी की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 64/53 में प्रतिवादी न. 1 हरपालसिंह का नाम सहबन हरदयालसिंह अंकित हुआ है जिसे प्रतिवादी न. 1 हरपालसिंह पढ़ा जाने की घोषणा की जावे।

यदि वादीगण प्रथम पक्ष का दावा डिक्री किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपति व एतराज नही होगा। वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष में उक्त राजीनामा अपने पूर्ण होश हवास व सहमति से बिना किसी दवाव व वहकाव के लिखवा दिया है।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरान बहस विद्वान अधिवक्तागणों ने वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40-53, 38-39-40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है। ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपरिधत होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जददी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:: आदेश ::—

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का पक्षकारान को निम्नुसार मालिक व खातेदार घोषित किये जाते हैं:-

(क). तहसील पीलीबंगा का चक 39 एल.एल.डब्ल्यू. की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू प.न. 2/237 मु.न. 24 कि.न. 1 ता 4, 5/.228(.025रास्ता), 6/.228(.025रास्ता), 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15/.228(.025रास्ता), 16/.228(.025रास्ता), 19 ता 22, 25/.228(.025रास्ता) कि कुल 4.807 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि व चक 37 एल.एल.डब्ल्यू. वी का प.न. 5/232 मु.न. 4 कि.न. 18/2/.028, 20 की कुल 0.281 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादी न. 1 ता 3 यानि मनजीतकौर पत्नि हरमन्दरसिंह, हरजीतसिंह, हरवीरसिंह जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को व. हिस्सा बराबर बराबर के मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जाती है।

(ख). तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू. वी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू प.न. 3/235 मु.न. 22 कि.न. 14, 15/.228(.025खाला), 16/.009 नहरी, 17 ता 24, 25/.009 नहरी की 2.548 है. नहरी मय गै. मु. खाला व चक 37 एल.एल.डब्ल्यू. ए का प.न. 10/236 मु.न. 48 कि.न. 9 ता 25 की कुल 4.301 है नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि

का वादी नं 4 यानि हरमंशरिह पुत्र हरचन्द्ररिह जाति जाटरिख शाकिन अमररिहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानमठ राजस्थान को मालिक न खातेदार होने की घोषणा की जाकर अलग खाता में दर्ज कर सकम राज अलग कायम की जाती है।

(ग) तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू. बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का प.न. 3/238 मु.न. 34 कि.न. 3/215(0.38 सरता), 4/215(0.38 सरता), 5/190(0.38 सरता, .025खाला), 6/220(0.25सरता), 7, 8, 14/2/063, 15/220(0.25खाला) की 1.834 है. नहरी मय नै. मु. खाला सरता खातेदारी कृषि भूमि न प.न. 3/235 मु.न. 22 कि.न. 16/219(0.25खाला), 25/219(0.25खाला), न प.न. 5/234 मु.न. 14 कि.न. 1 ता 25 कि कुल 6.325 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि न चक 37 एल.एल.डब्ल्यू. बी का प.न. 5/232 मु.न. 4 कि.न. 18/2/086, 21 की कुल 0.339 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी नं. 1 यानि हस्पालरिह पुत्र हरचन्द्ररिह जाति जाटरिख शाकिन अमररिहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानमठ राजस्थान को मालिक न खातेदार होने की घोषणा की जाकर अलग खाता में दर्ज कर सकम राज अलग कायम की जाती है।

(घ) तहसील पीलीबंगा का चक 37 एल.एल.डब्ल्यू. बी की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 64/53 में प्रतिवादी नं. 1 हस्पालरिह का नाम सहबन हरदयालरिह अंकित हुआ है जिसे प्रतिवादी नं. 1 हस्पालरिह पढ़ा जाने की घोषणा की जाती है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :-

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाशधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिंग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अति. सगी)
उपस्थान अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा